न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री मुन्नीराम बागड़िया आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 18 / 2024 **GCMS NO-2024/37**

प्रार्थी		अप्रार्थी
किसनाराम कड़वासरा, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	**बनाम**	1. श्री गजानन्द शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर उम्र 24 वर्ष निवासी सुरजनसर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर 331801(एफबीओ / ट्रासपोट्रर) जरिये वाहन संख्या जीजे 23 एडब्लयू 1037 सांगड़ थाना परिसर, जिला जैसलमेर। 2. श्री खिमसुरिया भरत पुत्र श्री भरत भाई देसाभाई खिमसुरिया उम्र 43 वर्ष (मालिक) कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी जामनगर राजकोट हाईवे फाला गांव के पास, रावनी खिजाडिया जामनगर गुजरात 361130 निवासी खेडियार कृपा स्वामीनारायण नगर हलार हाउस के पास जामनगर गुजरात 361001 मो0 9898700408

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011
उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता पूंजराजसिंह उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक: 27.11.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.11.2023 को दोपहर 01.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ जरिये वाहन संख्या जीजे 23 एडब्लयू 1037 सांगड़ थाना परिसर, जिला जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जरिये वाहन संख्या जीजे 23 एडब्लयू 1037 सांगड़ थाना परिसर, जिला जैसलमेर पर 1.श्री गजानन्द शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर उम्र 24 वर्ष निवासी सुरजनसर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर मिनि ट्रक में मिले एवं आम जनता को गाय घी (बंधन) आदी जैसलमेर के रास्ते फलौदी में विक्रय करने हेतु ले जा रहे थे। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ मिनि ट्रक के अन्दर गाय घी (बंधन) रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात गाय घी (बंधन) 1 लीटर के चार जार को नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 600/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा गाय घी (बंधन) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–1900 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–1900 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–1900 गाय घी (बंधन) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को प्रवीण चौधरी के द्वारा दिनांक 17.11.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 17.11.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 2361–63 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./3061/Act/2023/3104 दिनांक 30.11.2023 अनुसार उक्त नमूना असुरक्षित एवं रेफरल लैब पूना जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर RFL/P/DO-173/24/255/2024 दिनांक 16.04.2024 सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक / एफएसएसए / 2024 / स्वीकृति / एन–1900 / 1591 दिनांक 22.10.2024 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री गजानन्द शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर उम्र 24 वर्ष निवासी सुरजनसर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर (एफबीओ) जरिये वाहन संख्या जीजे 23 एडब्ल्यू 1037 सांगड़ थाना परिसर, जिला जैसलमेर 2. श्री खिमसुरिया भरत पुत्र श्री भरत भाई देसाभाई खिमसुरिया उम्र 43 वर्ष (मालिक) कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी जामनगर राजकोट हाईवे फाला गांव के पास, रावनी खिजाडिया जामनगर गुजरात 361130 निवासी खेडियार कृपा स्वामीनारायण नगर हलार हाउस के पास जामनगर गुजरात के द्वारा सबस्टेण्डर्ड गाय घी (बंधन) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

[signature]

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्राथी ने बताया कि अप्रार्थी 02 से जिस अवस्था में खाद्य सामग्री गाय घी (बंधन)को खरीदा उसी अवस्था में विक्रय हेतु परिवहन कर रहा था इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच L.S./3061/Act/2023/3104 दिनांक 30.11.2023 अनुसार उक्त नमूना असुरक्षित एवं रेफरल लैब पूना जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर RFL/P/DO-173/24/255/2024 दिनांक 16.04.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है और भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के गाय घी (बंधन)खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1.श्री गजानन्द शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर उम्र 24 वर्ष निवासी सुरजनसर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर (विक्रेता) जरिये वाहन संख्या जीजे 23 एडब्लयू 1037 सांगड़ थाना परिसर, जिला जैसलमेर 2. श्री खिमसुरिया भरत पुत्र श्री भरत भाई देसाभाई खिमसुरिया उम्र 43 वर्ष (मालिक) कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी जामनगर राजकोट हाईवे फाला गांव के पास, रावनी खिजाडिया जामनगर गुजरात 361130 निवासी खेडियार कृपा स्वामीनारायण नगर हलार हाउस के पास जामनगर गुजरात के द्वारा सबस्टेण्डर्ड स्तर का गाय घी (बंधन) खाद्य पदार्थ के सबस्टेण्डर्ड विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 व 02 पर कुल 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुन्नीराम बागड़िया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर